भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1533

जिसका उत्तर 27 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

कोयला क्षेत्र में विवाद

1533. श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला क्षेत्र में विवादों का ब्यौरा क्या है तथा मंत्रालय इनका किस प्रकार से समाधान करने का प्रयास कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने विवादों के समाधान के लिए किसी स्वतंत्र निकाय का गठन नहीं करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : कोयला सेक्टर में कोयला उपभोक्ताओं को कोयला कंपनियों के कर्मचारियों से शिकायत, कोयला कंपनियों का कर प्राधिकारियों के साथ विवाद, औद्योगिक संबंध और भूमि अधिग्रहण से संबधित विवाद और अन्य न केवल इन तक सीमित, विभिन्न प्रकार के विवाद हैं। इन विवादों का समाधान प्रासंगिक कानून और/अथवा संबंधित स्टेकहोल्डर्स के बीच किए गए अनुबंध/समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार किया जाता है।

इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई)/पोर्ट ट्रस्टों और सीपीएसई तथा सरकारी विभागों/संगठनों (रेलवे, आयकर, सीमा-शुल्क एवं उत्पाद शुल्क विभागों से संबंधित विवादों को छोड़कर) के बीच वाणिज्यिक अनुबंधों के उपबंधों की व्याख्या और प्रयोज्यता से संबंधित किसी भी आपसी विवाद अथवा मतभेद के समाधान के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 22 मई, 2018 को एक तंत्र अर्थात् सीपीएसई विवाद समाधान प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) तैयार किया गया है।

(ख) और (ग) : इन विवादों का समाधान करने के लिए मंत्रालय में स्वतंत्र निकाय गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****